



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

कार्तिक 28, मंगलवार, शाके 1941-नवम्बर 19, 2019  
Kartika 28, Tuesday, Saka 1941-November 19, 2019

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रूप-3) विभाग  
अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2019

संख्या एफ. 23(2)चि. एवं स्वा. 3/2003 पार्ट :- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 57) की धारा 17 की उप-धारा 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए नियुक्त समुचित प्राधिकारी को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने एवं सलाह देने के लिए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 12(38)चि.5/94-पार्ट-11 दिनांक 25.07.2001 से गठित सलाहकार समिति में क्रम संख्या 3 एवं 4 पर उल्लेखित सदस्यों के रूप में निम्नलिखित सदस्यों का राज्य सरकार एतद्वारा मनोनयन करती है:-

1. डा० सीतारमन, जे०के० लोन हास्पिटल, जयपुर। (चिकित्सा आनुवांशिकी विज्ञानी)
2. श्रीमती भावना जगवानी, 56, गीता पथ, सूरज नगर वेस्ट, सिविल लाईन्स, जयपुर। (सामाजिक कार्यकर्ता)
3. श्रीमती राखी गौतम, निवासी 931.-ए आरकेपुरम, कोटा। (सामाजिक कार्यकर्ता)
4. श्रीमती कल्पना भटनागर पत्नी श्री रोहित भटनागर, 46 नवरंग नगर, ब्यावर, जिला अजमेर। (सामाजिक कार्यकर्ता)

उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष का होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से  
अनिल कुमार कौशिक,  
उप शासन सचिव।

1954

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक एफ. 23(2)चि. एवं स्वा. 3/2003 पार्ट:-

दिनांक :

15 NOV 2019

अधिसूचना

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 57) की धारा 17 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए नियुक्त समुचित प्राधिकारी को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने एवं सलाह देने के लिए इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 12(38)चि.5/94-पार्ट-III दिनांक 25.07.2001 से गठित सलाहकार समिति में क्रम संख्या 3 एवं 4 पर उल्लेखित सदस्यों के रूप में निम्नलिखित सदस्यों का राज्य सरकार एतद्वारा मनोनयन करती है--

1. डॉ० सीतारमन, जे०के० लोन हॉस्पिटल, जयपुर। (चिकित्सा आनुवांशिकी विज्ञानी)
2. श्रीमती भावना जगवानी, 56, गीता पथ, सूरज नगर वेस्ट, सिविल लाईन्स, जयपुर।  
(सामाजिक कार्यकर्ता)
3. श्रीमती राखी गौतम निवासी 931-ए, आर०पुरम, कोटा। (सामाजिक कार्यकर्ता)
4. श्रीमती कल्पना भटनागर पत्नी श्री रोहित भटनागर, 46 नवरंग नगर, ब्यावर, जिला जयमेर।  
(सामाजिक कार्यकर्ता)

उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष का होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अनिल कुमार कौशिक)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा स्वा० एवं परिवार कल्याण मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय गृह मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज. सरकार, जयपुर।

9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एव बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं निदेशक आईईसी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. अनुभागाधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
16. सहायक आयुक्त (पॉलिसी), स्वा० एव परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
17. निदेशक (पी एन डी टी), स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
18. समस्त सभागीय आयुक्त, राजस्थान।
19. समस्त पुलिस महानिरीक्षक रेज, राजस्थान।
20. पुलिस कमीश्नर जोधपुर एव जयपुर।
21. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
22. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
23. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
24. श्री बी०एस० नन्दवाना, उप सचिव, विधि (वादकरण) विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
25. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
26. निदेशक, (जन स्वा०) / (प०क०) / (एड्स), मुख्यालय।
27. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
28. समस्त सयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान।
29. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
30. समस्त राजस्व उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
31. समस्त मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
32. समस्त अतिरिक्त / उप मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) / (उपखण्ड) राजस्थान।
33. समस्त जिला प्रजनन एव शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
34. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का श्रम करे।
35. रक्षित पत्रावली।



(अनिल कुमार कौशिक)  
उप शासन सचिव